भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 79
गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना</u>

79. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री विनसेंट एच. पालाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली युक्त विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व के सभी विद्यालयों में सौर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग को बढ़ाने हेतु कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विद्यालयों के साथ-साथ आवासीय प्रतिष्ठानों हेतु भी सौर-पैनलों पर राजसहायता देने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(ख) एमएनआरई द्वारा रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-I के तहत विद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थाओं में ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही था और कार्यक्रम के तहत 136 ऐसी संस्थाओं में रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित किए जाने की सूचना दी गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III के तहत स्कूल जाने वाले 15.58 लाख से अधिक बच्चों को सौर स्टडी लैंप उपलब्ध कराए गए। इन कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित रूफटॉप सौर प्रणालियों और स्कूल जाने वाले बच्चो को वितरित किए गए सोलर लैंप के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यालयों के लिए ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर की स्थापना हेतु रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत आवासीय क्षेत्र को वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक-I

"सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 79 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही प्रमुख योजनाओं के ब्यौरे

क) रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के प्रावधान के जरिए आवासीय सेक्टर में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता वृद्धि। इसके अतिरिक्त, आरंभिक 18,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता वृद्धि के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहन। इस कार्यक्रम के लिए जारी कार्यक्रम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, यह कार्यक्रम मांग आधारित और आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए सुलभ है।
	(i) आवासीय क्षेत्र के लिए - • 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) • 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए • 500 किलोवाट पीक तक की जीएचएस/आरडब्ल्यूए क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित) (ii) डिस्कॉमों के लिए, बेसलाइन से अधिक क्षमता जोड़ने में उपलब्धियों के आधार पर परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
ख) पीएम-कुसुम योजना	इस योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना मांग आधारित और देश के सभी किसानों के लिए कार्यान्वयन हेतु सुलभ है। घटक क: किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत ग्राउन्ड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर विद्युत डेवलपर सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। उपलब्ध लाभः इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. होगा। घटक ख: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 20.00 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभः स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर

	राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक ग: (i) व्यक्तिगत पंप के सौरीकरण और (ii) फीडर स्तरीय सौरीकरण के माध्यम से 15 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभः (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरणः सौर पीवी घटक की बैंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 30 प्रतिशत सीएफए दी जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरणः एमएनआरई से उपलब्ध प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपए की सीएफए के साथ राज्य सरकार द्वारा कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में कृषि फीडरों का सौरीकरण किया जा सकता है।
ग) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संगठनों को प्रति मेगावाट 55 लाख रुपए तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (वीजीएफ) सहायता
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपए तक अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रुपए अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो
ङ) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली का निर्माण)	जीईसी चरण-I डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, के 40 प्रतिशत सीएफए। जीईसी चरण-II डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, के 33 प्रतिशत सीएफए।
च) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन एवं बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र है। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती हैः (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (अधिकतम विद्युत की दक्षता और ताप गुणांक) और (iii) बेचें गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि का प्रतिशत

अनुलग्नक-II

"सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.02.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 79 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-I के तहत विद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित रूफटॉप सौर प्रणालियों और ऑफ-ग्रिड एवं विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-II के तहत स्कूल जाने वाले बच्चो को वितरित किए गए सोलर स्टडी लैम्प के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शैक्षिक संस्थाओं की संख्या जिनमें रूफटॉप प्रणालियां स्थापित की गई	स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जिन्हें सोलर स्टडी लैंप उपलब्ध कराए गए
1	अरुणाचल प्रदेश	2	200000
2	असम	64	750459
3	मणिपुर	53	60664
4	मेघालय	2	56610
5	मिजोरम	0	144705
6	नागालैंड	0	24000
7	सिक्किम	5	21900
8	त्रिपुरा	10	300000
	कुल	136	1558338

*****